

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक
विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, 2018

विषय-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/2017/45/44-1-2017-02उ0वे0रि0/98 टी0सी0, दिनांक 09 मई, 2017 एवं शासनादेश संख्या-6/2017/794/44-1-2017-02उ0वे0रि0/98 टी0सी0, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/विनियमों, कम्पनीज एक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उपक्रमों के आर्टीकिल्स ऑफ एसोसिएशन से सम्बन्धित आर्टीकिल्स तथा उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1975) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उक्त संस्थाओं के पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो पूर्व से ही राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलने वाली दर पर महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता पाते हैं तथा वेज बोर्ड द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।	दिनांक 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन का 04 प्रतिशत।
(ख) 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0 (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, के लिए।	दिनांक 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन का 136 प्रतिशत।
(ग) 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों,	सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका शासनादेश दिनांक-

<p>जिनके द्वारा वेतन समिति, 30प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक- 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, के लिए।</p>	<p>11 सितम्बर, 2009 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत के वेतन के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है, उनके लिए दिनांक 01 जनवरी, 2017 से वेतन तथा महंगाई वेतन का 264 प्रतिशत। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है, उनके लिए दिनांक 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन का 314 प्रतिशत (264+50=314)।</p>
<p>(घ) 01 जनवरी, 1996 से अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए।</p>	<p>शासनादेश संख्या 932 पी0 आर0सी0 /44-1-99, दिनांक 28 दिसम्बर, 1999 के प्रस्तर-2 में दी गयी प्रक्रियानुसार 01 जनवरी, 2017 से मूल वेतन का 306 प्रतिशत (314-8=306)A</p>

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई भत्ते की उपरोक्त किश्तें शासनादेश संख्या-1090/44-1-2009-2 30वे0रि0/98, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 में निर्धारित निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होंगी-

- (1) बढी हुई दर से महंगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों को अनुमन्य होगा जिनकी अपनी आन्तरिक क्षमता ऐसी हो कि वे अतिरिक्त व्यय भार वहन करने में सक्षम हों।
- (2) जिन सार्वजनिक उद्यमों को बन्द करने का औपचारिक निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जा चुका है, उन्हें बढी हुई दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) सम्बन्धित निगम/उपक्रम का सांविधिक देय ई0पी0एफ0, पेंशन अंशदान तथा आयकर लम्बित न हो।
- (4) प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित शर्त के तहत प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम/निगम की वित्तीय क्षमता का आकलन सम्बन्धित उद्यम/निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित निगम/उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति को प्रस्ताव सन्दर्भित किया जायेगा। उक्त समिति में प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग तथा सम्बन्धित उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक सदस्य हैं। उक्त समिति निर्णय लेते समय सम्बन्धित उद्यम/निगम के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की हुई बैलेस शीट के अनुसार नकद लाभ अर्जित होने की स्थिति के आधार पर भुगतान क्षमता का आकलन करेगी। ऐसा आकलन

इस दृष्टिकोण से भी किया जाना अपेक्षित होगा कि महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किस तिथि से तथा किस रूप में किया जाना है।

4- दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-01/2018/1542(1)/44-1-2017-02 30वे0रि0/98टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखापरीक्षा)द्वितीय, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्याकारी अधिकारी।
- 3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 5- संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, 30प्र0 जवाहर भवन को विभागीय वेबसाइट हेतु।
- 6- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक)।
- 7- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना मुख्यमंत्री, 30प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)

अनु सचिव।